न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:—12/2014 दायर दिनांक:—30.06.2014

जीसीएमएस नं. 2014/00648

श्रीमति पवनदेवी पत्नि बाबूसिंह जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

—————सायल

बनाम

1. रामराज पुत्र खिलाडी उम्र 50 साल
2. भग्गू पुत्र खिलाडी उम्र 52 साल
3. रामवीर पुत्र रामराज उम्र 18 साल
4. सम्पत्ति पत्नि रामराज उम्र 45 साल

जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

5. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त रिसीवर एव अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:— 1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायल
2. श्री नरेन्द्र सिंह जादौन अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0 न0 2378 रकबा 27 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन में सायला 1/2 हिस्से की एवं गैरसायल स. 1 व हिस्सा 1/2 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे अन्य कोई व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

उक्त खसरा न0 2378 आबादी के नजदीक है। सायला की आबादी सेसंटवा होने के कारण गैरसायल सं. 1 एवं उसके परिजनों के दिमाग में बदनीयति हो चूकी है। और वह इसे येनकेन प्रकार हडपने पर आमदा है। और शीर्ष खसरा नम्बर का मौके पर कोई विवाद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:51 IST
Reason: SelfAttested

बाका दिनांक 19.06.2014 को है कि सायला आराजी ख0न0 2378 के अपने हिस्से की सार संभाल कर रही थी, कि गैरसायलान एक राय होकर आये एवं कहने लगे कि इस खेत में अब तुम काश्त मत किया करो। यह खेत केवल हमारा ही रहेगा। सायला ने गैरसायलान को समाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तेयार नही है। एवं सायला के हिस्से को हड़पने पर आमदा है।

अगर गेरसायालान अपने उक्त गैरकानूनी मंसुबे मे कामयाब हो गये, तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नही हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबंद किये जाने में उन्हे कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि गैरसायलान आराजी ख0 2378 रकबा 27 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के सायला के हिस्से में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायला को बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे। सायला को उसके हिस्से को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। अगर गैरसायलान सायला की आराजी पर जबरन कब्जा यकर लेते है, तो उक्त आराजी को कब्जे राज में लेकर तहसीलदार तहसील हिण्डौन को रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करने का श्रम करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 4 की ओर से नरेन्द्र सिंह जादौन अधिवक्ता जरिये वकालतन उपस्थित आये एवं जबाव प्रा0 पत्र पेश किया एवं गैरसायलान न0 5 को जबाब हेतु बार बार अवसर देने के बावजूद जबाब पेश नहीं किया गया तदोपरांत गैरसायलान न0 5 का जबाब बन्द किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2069–72, खाता संख्या 200 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:51 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायल का

प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार आराजी ख0 न0 2378 रकबा 27 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामराज पुत्र खिलाडी हिस्सा 1/2 एवं श्रीमति पवनदेवी पत्नि बाबूसिंह हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0 न0 2378 रकबा 27 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील श्रीमहावीरजी में दर्ज खातेदार सायल एवं गैरसायलान न0 1 है, जो दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकरन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुचे कि जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 200 में आराजी ख0 न0 950, 952, 953, 954 खसरा न0 अंकित है एवं सायल द्वारा खसरा न0 2378 रकबा 27 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील श्रीमहावीरजी में सायल एवं गैरसायलान न0 1 खातेदार काश्तकार है, एवं गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब में गैरसायलान का सायल से वर्तमान में कोई विवाद नहीं होना स्वीकार किया है जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी ख0 न0 2378 रकबा 27 ऐयर स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील श्रीमहावीरजी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील मिसल कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.7.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:51 IST
Reason: SelfAttested